

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-एफ 27-53/20-2/2008
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22/9/2008

आयुक्त,
लोक शिक्षण,
मध्यप्रदेश, भोपाल।
विषय- डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम मेघावी छात्र प्रोत्साहन योजना।


राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले के शासकीय विद्यालय में कक्षा 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक संकाय के सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र-छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय राशि रुपये 54000/-से अधिक न हो राशि रुपये 5000/-दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

म०प्र० के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता/-
(एम०के० दाण्डे)

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 24/09/2008

पृष्ठांकन/ क्रमांक/ विद्या/ एच/ 05/2008/2722
प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
- 2- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- 3- सलाहकार, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 4- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
- 5- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 6- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 7- सचिव, राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग, भोपाल।
- 8- सचिव, म०प्र० शासन वित्त विभाग एवं सदस्य स्थाई वित्त समिति मंत्रालय, भोपाल।
- 9- आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 10- आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- 11- आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
- 12- सचिव, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल/संस्कृत बोर्ड/मदरसा बोर्ड मध्यप्रदेश।
- 13- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश।
- 14- समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- 15- संचालक, जनसम्पर्क, बाणगंगा, भोपाल।
- 16- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 17- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 18- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि शासन के उक्त निर्णय अनुक्रम में विधिवत् प्रस्ताव तैयार कर संचालनालय को उपलब्ध करायें।


(डॉ० कौशल किशोर पाण्डे)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश